सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **245**
18/03/2026

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु रिकॉर्ड आवेदन, कक्षा 06 का परिणाम जारी

पटना 18 मार्च, 2026 :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य के 91 डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नामांकन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। इस वर्ष अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के बीच नामांकन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है।

विदित हो कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नामांकन हेतु कुल 19,829 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कक्षा 01 के लिए 14,459 एवं कक्षा 06 के लिए 5,370 आवेदन शामिल थे। वहीं शैक्षणिक सत्र 2026–27 में यह संख्या बढ़कर कुल 1,03,195 आवेदन हो गई है, जिनमें कक्षा 01 के लिए 59,453 एवं कक्षा 06 के लिए 43,742 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह वृद्धि विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता एवं गुणवत्ता पर जनविश्वास को दर्शाती है।

कक्षा 06 में नामांकन हेतु दिनांक 22 फरवरी 2026 को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20,418 छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए। कक्षा 06 की 268 रिक्त सीटों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 16 मार्च 2026 को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

वहीं कक्षा 01 में नामांकन हेतु दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच ऑनलाइन लॉटरी का सफल आयोजन किया गया। लॉटरी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षाओं का नियमित संचालन दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाएगा।

विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समावेशी हो। चयनित छात्र-छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित आवास, स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेलकूद की समुचित व्यवस्था, पौष्टिक भोजन एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित डीबीटी राशि भी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का यह प्रयास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण एवं उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त एवं प्रभावी पहल है।